भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 456
2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

समुद्री शैवाल पार्क

456. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अन्तर्गत स्थापित अथवा प्रस्तावित समुद्री शैवाल पार्कों का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) थूथुकुडी जिले में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रस्तावित समुद्री शैवाल पार्क पर कार्य आरंभ करने की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी अपेक्षित समय-सीमा कितनी है;

(ग) थूथुकुडी जिले के उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रायोगिक आधार पर समुद्री शैवाल की खेती की पहल में प्रशिक्षित या नियोजित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी जैसी आक्रामक समुद्री शैवाल प्रजातियों की खेती से उत्पन्न पर्यावरणीय चिंताओं को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्री शैवाल उत्पादन के मौजूदा स्तर और समुद्री शैवाल आधारित कच्चे माल की औद्योगिक मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार तमिलनाडु सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से वित्त वर्ष 2020-21 से एक प्रमुख योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)" लागू कर रहा है। तमिलनाडु राज्य में, PMMSY के अंतर्गत 127.71 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर "मल्टीपर्पस सीवीड पार्क की स्थापना" को स्वीकृति दी गई है, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं: (i) रामनाथपुरम जिले के वलमवूर में हब-I सेंटर में सीवीड मल्टीप्लिकेशन, (ii) पुदुकोट्टई जिले के मंगनूर में हब-II सेंटर में सीवीड की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन (iii) थूथुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई और तंजावुर जिलों के सीवीड कृषि वाले गांवों में स्पोक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि हब-I, हब-II और स्पोक लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिविल कार्य शुरू हो चुका हैं और हब-I सेंटर को जनवरी, 2026 और हब-II सेंटर को जुलाई, 2026 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। थूथुकुडी जिले के निम्न गांवों में स्पोक लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य किया जा रहा है, जिसे दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है: पेरियासामीपुरम, सिप्पिकुलम, पट्टिनामरुथुर, वेल्लापट्टी, थूथुकुडी हार्बर, मुल्लाकाडू।

(ग): तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि ' पाल्क-बे और गल्फ ऑफ़ मन्नार के मछुआरों के लिए "विशेष आजीविका कार्यक्रम " के अंतर्गत थूथुकुडी जिले में 125 मछुआरिनों को सीवीड वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग दी गई है। ICAR-सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMFRI) ने सूचित किया है कि विगत पाँच वर्षों में 13,500 से अधिक तटीय समुदायों के लिए सीवीड कृषि पर 159 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले के 300 से ज़्यादा लाभार्थी शामिल हैं। CSIR-सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSMCRI) ने थूथुकुडी जिले के 50 से अधिक मछुआरों को ट्रेनिंग दी है।

(घ): ICAR-CMFRI ने PMMSY के अंतर्गत सीवीड (रेड़ एल्गे) प्रजातियों जैसे ग्रेसिलेरिया एडुलिस और कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी की कृषि को बढ़ावा दिया है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM); CSMCRI और CMFRI जैसे अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, कप्पाफाइकस एसपीपी को एक तेजी से फैलने वाली हानिकारक (इनवेसिव) प्रजाति नहीं पाया गया है और यह बताया गया है कि इस सीवीड से प्राकृतिक प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र (नेचुरल कोरल इकोसिस्टम) को नुकसान नहीं हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी बताया है कि कप्पाफाइकस की वाणिज्यिक कृषि 2005 से शुरू की गई थी, और किसी बड़े स्तर पर इसका फैलाव होने की आशंका नहीं देखी गई। हालांकि, एहतियाती तौर पर, पर्यावरण और वन (EC-3) विभाग के दिनांक 20.12.2005 के G.O. (MS) No.229 के अनुसार मन्नार क्षेत्र की खाड़ी में कप्पाफाइकस की कृषि की अनुमति नहीं दी गई थी।

(ड़): मत्स्यपालन विभाग ने केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग से सीवीड़ के वर्तमान उत्पादन और मांग के बीच के अंतर को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे तमिलनाडु में "मल्टीपर्पस सीवीड पार्क की स्थापना', किसानों को सुदृढ़ विकास दर वाले सीवीड बीज प्रदान करना, 11,099 किमी समुद्र तट के साथ सीवीड कृषि के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान, व्यवहार्यता अध्ययन, प्रशिक्षण और क्षमता विकास के संबंध में पायलट परियोजनाओं के लिए अनुसंधान और विकास संस्थानों और उद्यमियों को सहायता प्रदान करना, सीवीड कृषि के लिए राफ्ट और मोनोलाइन/ट्यूबनेट की स्थापना के लिए तटीय समुदायों/लाभार्थियों को सहायता आदि । PMMSY के अंतर्गत, विगत 5 वर्षों (2020-25) के दौरान सीवीड कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए 195 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अनुसंधान संस्थानों ने भारत के समुद्र तट पर 24,707 हेक्टेयर में फैली 384 जगहों की पहचान की है, जो सीवीड कृषि के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा, लक्षद्वीप को सीवीड क्लस्टर के तौर पर अधिसूचित किया गया है और ICAR-CMFRI के मंडपम क्षेत्रीय केंद्र को सीवीड कृषि और अनुसंधान गतिविधियाँ को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के तौर पर अधिसूचित किया गया है। '*भारत में लाइव सीवीड के इम्पोर्ट के लिए गाइडलाइंस*' 21-10-2024 को जारी की गई हैं। इसके अलावा, नीति आयोग ने भारत में सीवीड कृषि को बढ़ावा देने के लिए '*स्ट्रैटेजी फॉर दी डेवलेपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन* 'नाम की एक रिपोर्ट जारी की है । मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने देश में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए सीवीड विकास पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) और तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) के रूप में एक संस्थागत तंत्र बनाया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, सीवीड उत्पादन 2015 में 18,890 टन से बढ़कर 2024 में 74,083 टन हो गया है।

*****